

वित्त निर्देश 12/2026

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक RULE/478/2025-FINANCE,

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 08/04/2026

प्रति,

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त सभागायुक्त  
समस्त कलेक्टर  
छत्तीसगढ़

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें

--0--

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक RULE/478/2025-FINANCE, दिनांक 17-10-2025 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.09.2025 से 55% (सातवें वेतनमान में) एवं 252% (छठवें वेतनमान में) की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है।

2/ राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से महंगाई राहत स्वीकृत की जाये। वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी:-

वेतनमान	अवधि जब से देय है	महंगाई राहत में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई राहत का प्रतिशत
सातवां वेतनमान	1 जनवरी 2026	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 3%	58%
छठवां वेतनमान	1 जनवरी 2026	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 5%	257%

3/ उपरोक्त महंगाई राहत की पात्रता पेंशन एवं परिवार पेंशन, असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल

Ord. 57  
P.P.D.


नगर, के ज्ञापन क्रमांक 677/279/2024/वित्त/नियम/चार, दिनांक 23.9.2024 (वित्त निर्देश 07/2024-संलग्न) एवं ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/ नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

5/ महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र.ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनर्स को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर महंगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये। यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(इन्द्र प्रकाश रात्रे)  
उप सचिव